जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना शिवालाकलां **दिनाँकः-18.08.2026**

थाना शिवालाकलाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/26 धारा 109(1), 115(2) 351(2), 3(5), 61, 191(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2026 को वादी अय्यूब खान पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम तंगरौला, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी गयी कि 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 106/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सुहैल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम तंगरौला, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 3(5)/61/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुहैल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम तंगरौला, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहैल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जिला बिजनौर

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 17/26 धारा 115(2), 191(2), 351(2) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 106/26 धारा 109(1), 115(2) 351(2), 3(5), 61, 191(3) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रवि टैगोर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2.का0 351 सहदेव थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3.का0 1821 जाबिर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

4.रि0का0 909 सौरभ मलिक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक- 18.08.2026**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से धारा 304(बी)/498(ए)भादवि व 4 डीपी एक्ट के आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 08 वर्ष 05 माह के कारावास 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2018 को वादिया द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मौ0 कोटरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर आदि 04 नामित अभियुक्तों द्वारा वादिया की पुत्री के साथ शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते तथआ जान से मारने की धमकी देते रहते थे जिसके चलते अभियुक्तों द्वारा वादिया की पुत्री की हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 98/2018 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करके अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.08.2026 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफटीसी I, जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मौ0 कोटरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 08 वर्ष 05 माह के कारावास व कुल 7,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तों के नाम व पता –

1. शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मौ0 कोटरा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना अफजलगढ **दिनाँकः-18.08.2026**

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना व कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2026 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की स्पेंडर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोककर चेक किया गया। ई-चालान एप के माध्यम से मोटरसाइकिल की जानकारी करने पर उसका पंजीकरण नम्बर DL14ST1080 ज्ञात हुआ, जो थाना मधु विहार/ई-पुलिस स्टेशन जनपद पूर्व, क्राइम ब्रांच दिल्ली में पंजीकृत मु0अ0सं0 023565/2024 धारा 305(बी) बीएनएस से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल पायी गयी।

पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड़ जनपद बिजनौर हाल निवासी निकट इण्डियन गैस एजेन्सी के पास, मौ0 मनसा पट्टी कस्बा व थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) व 2.निशांत पाल पुत्र जोगी पाल निवासी ग्राम नारायणवाला, थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से 01 स्पेंडर मोटरसाइकिल, रंग काला, बिना नम्बर प्लेट, इंजन नं0 HA11E8PHB64861 व चेसिस नं0 MBLHAW226PHBA5363 बरामद की गई। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अनुज पुत्र यशपाल निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड़ जनपद बिजनौर हाल निवासी निकट इण्डियन गैस एजेन्सी के पास, मौ0 मनसा पट्टी कस्बा व थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

2.निशांत पाल पुत्र जोगी पाल निवासी ग्राम नारायणवाला, थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

01 स्पेंडर मोटरसाइकिल, रंग काला, बिना नम्बर प्लेट, इंजन नं0 HA11E8PHB64861 व चेसिस नं0 MBLHAW226PHBA5363

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

3.का0 2502 विशाल थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली शहर **दिनाँक:-18.08.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 637/2026 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2026 को वादी अशोक पुत्र डूंगर सिंह निवासी जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तो द्वारा उसकी मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रजि0 न0 UP20BY3398 व दो मोबाइल फोन लूट लिये गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 637/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । जिसमें पूर्व में अभियुक्त देव पुत्र सतीश निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड में लूट की मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रजि0 न0 UP20BY3398 सहित व अभियुक्त मनीष पुत्र काके निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त धारा 309(4) बीएनएस का विलोप करते हुए धारा 310(2)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रोचक पुत्र भोगेन्द्र निवासी खरक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोचक पुत्र भोगेन्द्र निवासी खरक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अवनीत मान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 रोहिताश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3. का0 1797 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4. का0 1860 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 18.08.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 618/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पर वादी श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व0 रामअवतार शर्मा, वर्तमान निवासी 55 बीपीकेटीएफ मयूर विहार फेज-2, दिल्ली द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. गौरव सोती पुत्र स्वर्गीय अश्वनी कुमार सोती 2. प्रॉपर्टी डीलर शैलेन्द्र खन्ना पुत्र शिवकुमार 3. सुनील खन्ना पुत्र जगदीश खन्ना 4. नावेद पुत्र मुन्ना आढती निवासीगण थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व अज्ञात द्वारा वादी के मामा अनिल कुमार की हत्या कर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 618/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम बाईस्तवा 04 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्तगण 1. निशा उर्फ अंजुम परवीन पत्नि आरिफ नि0 ए7/145 राजवीर कालोनी घरोली एक्सटेशंन थाना गाजीपुर दिल्ली, 2.अलीमुद्दीन पुत्र अकबर निवासी खोडा कालोनी दिल्ली स्थायी निवासी ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर बिजनौर, 3.सुभाष पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर बिजनौर, 4.हीना पुत्री मौ0 अकबर निवासी ए7/145 राजवीर कालोनी घरोली एक्सटेशंन थाना गाजीपुर दिल्ली स्थायी निवासी निवासी ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 5.राजनारायण पुत्र रूप सिंह निवासी इतवारी गंज झांसी के नाम प्रकाश में आए तथा अभियोग में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

दिनांक 18.08.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.निशा उर्फ अंजुम परवीन पत्नि आरिफ, 2.अलीमुद्दीन पुत्र अकबर, 3.सुभाष पुत्र विजय सिंह, 4.हीना पुत्री मौ0 अकबर उपरोक्त को 28,240/- रूपये व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल नाडा सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियोग में नामित अन्य बाईस्तवा अभियुक्तों गौरव आदि के विरूद्ध गहनता से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्ता निशा उर्फ अंजुम परवीन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह करीब एक वर्ष से अधिवक्ता राजनारायण के यहां क्लर्क का कार्य कर रही है। अधिवक्ता राजनारायण के क्लाइंट गौरव सोती की बिजनौर में भूमि थी तथा अनिल सोती, जो गौरव के चाचा थे, की भी भूमि गौरव की भूमि से लगी हुई थी। अनिल सोती के कोई संतान न होने के कारण उनकी भूमि पर गौरव सोती का वारिसाना हक था। अभियुक्ता के अनुसार भूमि का निस्तारण न होने से प्रकरण माननीय न्यायालय मे लंबित था जिसके लिए गौरव सोती ने अच्छी खासी रकम अधिवक्ता राजनारायण को देना तय किया था जिसमे से कुछ रकम दे दी गई थी। इसी बात को गौरव सोती द्वारा समय से जमीनी विवाद (कुर्राबन्दी) न होने के कारण अधिवक्ता राजनारायण से नाराजगी जताई। जिससे अधिवक्ता राजनारायण को अच्छी रकम देने वाले क्लाइंट का हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा जिस पर अभियुक्ता निशा के माध्यम से झूठे मुकदमे में फंसाने का प्लान बनाया गया। झूठे मुकदमे मे फंसाने में विफल होने पर अनिल सोती को रास्ते से हटाने की (हत्या) योजना बनाई गई। अधिवक्ता राजनारायण द्वारा अनिल सोती को रास्ते से हटाने (हत्या) के लिए अभियुक्ता निशा को ₹10 लाख देने की बात कही गई तथा पेशगी के रूप में ₹80,000/- दिए गए। अभियुक्ता ने अनिल सोती से संपर्क बढ़ाकर उनकी

भूमि संबंधी जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर अपने भाई अलीमुद्दीन, बहन हीना एवं परिचित सुभाष को धन का लालच देकर योजना में शामिल किया।

अभियुक्ता ने बताया कि दिनांक 01.08.2026 को अलीमुद्दीन को रेकी के लिए भेजा गया। दिनांक 06.08.2026 को वह अलीमुद्दीन एवं हीना के साथ टैक्सी से दिल्ली से बिजनौर आई तथा सुभाष को भी मौके पर बुलाया गया। अलीमुद्दीन, हीना एवं सुभाष बाहर निगरानी कर रहे थे। अभियुक्ता ने मौका पाकर अनिल सोती के घर में जाकर काले रंग के नाड़े से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चारों नूरपुर पहुंचे और वहां से टैक्सी द्वारा दिल्ली चले गए।

अभियुक्ता ने बताया कि घटना के बाद मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता से मिलने के लिए वह अपने साथियों के साथ बिजनौर आई थी, जहां पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.निशा उर्फ अंजुम परवीन पत्नि आरिफ निवासी ए7/145 राजवीर कालोनी घरोली एक्सटेशंन थाना गाजीपुर दिल्ली

2.अलीमुद्दीन पुत्र अकबर निवासी खोडा कालोनी दिल्ली स्थायी पता ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.सुभाष पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.हीना पुत्री मौ0 अकबर नि0 ए7/145 राजवीर कालोनी घरोली एक्सटेशंन थाना गाजीपुर दिल्ली स्थायी पता ग्राम दरियापुर थाना नूरपुर बिजनौर

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.राजनारायण (वकील) पुत्र रूप सिंह निवासी इतवारी गंज झांसी

बरामदगी का विवरणः-

1.निशा उर्फ अजुम परवीन से 16000/- रुपये।

2.अलीमुद्दीन पुत्र अकबर से 12,240/- रूपये।

3.सुभाष से घटना में प्रयुक्त नाडा।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1.निशा उर्फ अंजुम परवीन, अलीमुद्दीन व हीना उपरोक्त

मु0अ0सं0 618/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.सुभाष पुत्र विजय सिंह उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 618/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 35/2025 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.निरी0 सचिन मलिक मय टीम जनपद बिजनौर

2.थानाध्यक्ष अवनीत मान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 हिमांशु गोस्वामी प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर।

4.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

6.हे0का0 758 नासिर अली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

7.का0 109 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

8.म0का0 1068 सरिता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

9.म0का0 172 शालू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नगीना देहात **दिनांक 18.08.2026**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 03 अभियुक्तो (02 घायल) को चोरी के ₹9,700/- नगद व आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 06 लाख रूपये) एवं अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण एव कार्यवाही-

दिनांक 14.08.26 को वादिया श्रीमति शकीला पत्नि महबूब उर्फ भूरे निवासी ग्राम मंशा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त गण द्वारा वादिनी के पुत्र फहीम को जान से मारने की नियत से गोली मार दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.08.2026 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान नीला डैम के पास, ग्राम सैफुद्दीन नगर टांडा माईदास क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 0 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्तियों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्तों 1.दानिश पुत्र मोहम्मद उमर के बांए पैर में, 2.नौशाद पुत्र मोहम्मद इरशाद के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि एक अभियुक्त 3.शमशाद पुत्र मोहम्मद इरशाद, निवासीगण ग्राम खारी, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर को मौके से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 03 खोखा कारतूस .315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, चोरी किए गए ₹9,700/- नगद व सोने-चांदी के आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 06 लाख रूपये) तथा घटना में प्रयुक्त बाइक संख्या UP20CQ1952 (हीरो होन्डा एचएफ डीलक्स) बरामद हुई है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0स0 192/2026 धारा 109(1)/3(5)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

नोट- अभियुक्त 1. दानिश पुत्र मौ0 उमर 2. नौशाद पुत्र मौ0 इरशाद उपरोक्त थाना हल्दौर के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि वे अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर घरों में चोरी/नकबजनी करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.07.2026 को ग्राम कोटकादर, दिनांक 23/24.07.2026 को ग्राम टांडामाईदास, करीब डेढ़ माह पूर्व थाना कोतवाली देहात के ग्राम सिकंदरपुर तथा इस वर्ष के प्रारम्भ में शिवालाकलां में चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया गया तथा चोरी के सामान को आपस में बांटकर/बेचकर प्राप्त धनराशि खर्च करना बताया गया।

अभियुक्त दानिश व नौशाद द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/14.08.2026 की रात्रि ग्राम मंशा कोटकादर में चोरी का प्रयास करते समय ग्रामीणों के जाग जाने पर हमारे एक अन्य साथी को ग्रामीण द्वारा पकड़ लिया गया था, जिस पर हमारे साथी के कहने पर हम दोनों द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की नीयत से अपने-अपने तमंचों से फायर किया गया तथा मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.शमशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर बिजनौर
2.नौशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर बिजनौर

3.दानिश पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 1178/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 214/11 धारा 325/323/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 232/11 धारा 393/324 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 61/2012 धारा 110जी सीआरपीसी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 411/14 धारा 110जी सीआरपीसी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 358/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 500/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 84/16 धारा 376जी(2) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 448/16 धारा 394/411 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0स0 489/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0स0 18/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0स0 702/17 धारा 380/411 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0स0 707/17 धारा 380/457 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0स0 817/17 धारा 380/457/411 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0स0 836/17 धारा 307/34 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
16. मु0अ0स0 838/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
17. मु0अ0स0 978/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
18. मु0अ0स0 128/22 धारा 401 सीआरपीसी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
19. मु0अ0स0 129/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
20. मु0अ0स0 094/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
21. मु0अ0स0 071/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
22. मु0अ0स0 428/17 धारा 380/411 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
23. मु0अ0स0 585/17 धारा 380/411/454 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
24. मु0अ0स0 738/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
25. मु0अ0स0 030/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
26. मु0अ0स0 107/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
27. मु0अ0स0 194/25 धारा 356(2)/352/351(2)/303(2) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
28. मु0अ0स0 342/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
29. मु0अ0स0 366/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
30. मु0अ0स0 050/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
31. मु0अ0स0 048/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
32. मु0अ0स0 055/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना नागल जनपद बिजनौर
33. मु0अ0स0 061/2025 धारा 307 भादवि थाना नागल जनपद बिजनौर
34. मु0अ0स0 353/2018 धारा 356/379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
35. मु0अ0स0 436/2018 धारा 307 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
36. मु0अ0स0 437/2018 धारा 25 आयुध अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
37. मु0अ0स0 143/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
38. मु0अ0स0 092/2026 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर
39. मु0अ0स0 175/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
40. मु0अ0स0 169/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
41. मु0अ0स0 192/26 धारा 109(1)/3(65)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 427/19 धारा 323/377/498ए/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना धामपुर बिजनौर
2. मु0अ0स0 71/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 030/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 107/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 342/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 366/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 092/2026 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 050/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0स0 048/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
11. मु0अ0स0 058/2014 धारा 380/411/457 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0स0 055/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना नागल जनपद बिजनौर
13. मु0अ0स0 061/2025 धारा 307 भादवि थाना नागल जनपद बिजनौर
14. मु0अ0स0 175/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
15. मु0अ0स0 169/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
16. मु0अ0स0 190/26 धारा 109(1) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
17. मु0अ0स0 192/26 धारा 109(1)/3(5)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त दानिश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 66/16 धारा 363/366/368/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना को0देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 965/15 धारा 4/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 273/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 001/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 143/17 धारा 307/34/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स0 211/17 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 266/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 267/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0स0 050/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0स0 094/2026 धारा 305ए/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0स0 003/2024 धारा 2(बी)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
12. मु0अ0स0 273/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
13. मु0अ0स0 055/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
14. मु0अ0स0 061/2025 धारा 307 भादवि थाना नागल जनपद बिजनौर
15. मु0अ0स0 048/2025 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना नागल जनपद बिजनौर
16. मु0अ0स0 092/2026 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
17. मु0अ0स0 143/23 धारा 398/401/307 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
18. मु0अ0स0 175/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
19. मु0अ0स0 169/26 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
20. मु0अ0स0 190/26 धारा 109(1) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
21. मु0अ0स0 192/26 धारा 109(1)/3(5)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 UP20CQ 1952
2. 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 03 खोखा 315 बोर

3.10 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 08 अंगूठी सफेद धातु, 11 जोड़ी बिछुए सफेद धातु, 01 चैन सफेद धातु (कुल वजन सफेद धातु करीब 680 ग्राम)
4.02 जोड़ी कान की इयररिंग पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 गले का हार पीली धातु, (कुल वजन पीली धातु करीब 38 ग्राम)
5.9700 रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. निरी0 श्री सचिन मलिक मय टीम जनपद बिजनौर।
2. श्री सतेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3. अपराध निरी0 श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 श्री हिमांशु सर्विलांस प्रभारी मय स्वांट/सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 श्री नितेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
6. उ0नि0 श्री हिमांशु कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
7. है0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
8. है0का0 585 राजकुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
9. हे0का0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
10. हे0का0 499 योगेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
11. हे0का0 580 राहुल कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।
12. हे0का0 628 जोगेन्द्र कुमार सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।
13. हे0का0 हरमीत स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
14. का0 मोनू सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।
15. का0 अचिन सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।
16. कां0 आकाश स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
17. का0 1926 राहुल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
18. का0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
19. का0 2278 वसीम अली थाना नगीना देहात बिजनौर।